


(07-23) वकील उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31-7-23 को पेश है।

31-7-23 वकील वादी उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा अपने वाद पर के द्वारा 88 RTA के तहत राजस्व विभाग के गैर मुमकिन खाला अंकन करने का अनुरोध चाहा है जो द्वारा 88 RTA के तहत न्यायिक प्रक्रिया का न होकर प्रशासनिक कार्य होने से मूल पत्रावली राजस्व अनुभाग को हस्तान्तरित की जावे।

  
 (अंजना जोशी)  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

11/8/23

पत्रावली पेशी में ली गई। पत्रावली राजस्व न्यायालय से प्राप्त हुई है। प्रकरण में अधिशासी अधिकारी जल लेखक रजिस्ट्रार पीलीबंगा से रिपोर्ट <sup>फाइल नं. 2540/10.8.23</sup> प्राप्त हुई है जिसमें प. नं. 16/265 से 17/265 तक चक 22 MoD के मु. नं. 17/265 के किला न. 1 ता 5 के जलगाड़ी मीटर होगा बताया है एवं किसी प्रकार का वाद न्यायालय में प्राप्त / विचारधीन होगा नहीं बताया गया है। जलगाड़ी पीलीबंगा से पत्रांक 1259 दिनांक 21/3/23 से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें चक 22 MoD के खाता संख्या 53 प. नं. 17/265 मु. नं. 4 कि. 4 व 5 शर्मा मो. पुं. खाते खाते व खाता 37 प. नं. 17/265 मु. नं. 4 के किला न. 1 ता 3 की भूमि अंशाया मिट्टे पुं न रसिदें जारी अवधि 210 हेक्टर खाते खाते

दृष्टि र  
 बताया  
 व्यक्त  
 तल

क्रमांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम की  
तारीख में जारी हुए

द्वय रिपोर्टों को जो कि बिना खाली बना हुआ  
 बताया है मुलाबिक रिपोर्ट किसी प्रकार का  
 लिखित आदेश नहीं है अतः अधिशासी कमिश्नर  
 जल संसाधन एवं जल विद्युत विभाग की रिपोर्ट  
 एवं तहसीलदार रिपोर्ट एवं उपरोक्त के  
 द्वारा उम्मेद शपथ पत्र के आधार पर  
 एवं पर्यावली पर गणन कर उम्मेद उपरोक्त  
 पर स्वीकार किया जाता है तहसीलदार  
 पीलीबंगा को गैर अनुपालन जल नगरी  
 (स्वीडल शुदा) का कंकन डेट पर जारी  
 है। पर्यावली में लला धनक राखल  
 दस्तखत है।

